

कार्यालय,

एशियन एजिटिविक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:- एशियन/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कायमकाल ज्योति इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विदेशीया भारतीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त एशियन शिक्षा परिषद, 3080 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्तों पर विचार काली हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को एशियन शिक्षा परिषद, 30 80 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित कार्य के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम :- 1695-VBT PHARMACY COLLEGE PLOT NO-60,VIT CAMPUS,OPP CHAKOR PARK,KHURJA ROAD,NEAR VALIPURA GUEST HOUSE,BULANDSHAHR-203001

ए०-आइ०बी०टी०ई०/ पी०बी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2021-

द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश

क्रम	संस्था का नाम	प्रवेश क्षमता	क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०-आइ०बी०टी०ई०/पी०बी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश एशियन शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा एशियन शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, संशोधन विनियमकारी-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यालयी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्रत्यक्ष लिया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सल्लम प्राप्त निर्गत किये जाने वाले साक्षात्पत्र प्रेषणी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जायत आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा वारि सत्र 2021-22 हेतु पीस का पुनर्विचारण किया जात है, जो पीस की परीक्षण ही लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3080 एशियन शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायत) विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटी के निकल जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निरित साधनार्थक के अनुकूल विविधता एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से सम्बन्धी बात हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/साधनार्थक/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संस्था में समस्त उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा विदेशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई बात दाख किया जाता है तथा दाख बात के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निरित किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम संघर्षित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश करने के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग कार्यक्रम होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था काय पर लिये प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निरित नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्ध सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, दाख किया जाने वाला सुनक, साधनार्थक सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविधिक हेतु उपयुक्त साधनार्थक उपलब्ध कराने के साथ लैंगिंग रोकने के सम्बन्ध में सम्बन्ध आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसवित/ संघर्षित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु विदेशक समिति के सम्बन्ध उपलब्ध बनाये गये अधिलेख, भूमि-खान, पत्नीकर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उपलब्ध संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय विदेशक टीम यदि संस्था में भूमि, खान, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता वाली का अनुपालन न किये जाने अथवा वाली का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में विमानानुसार अनुपालनआयक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

अधिस

सू०सं०- प्राविधिक/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-6609

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिपत्र:-

अधिस/परिषद, VET PHARMACY COLLEGE PLOT NO-80, VET CAMPUS, OPP CHANDR PARK, KHURJA ROAD, NEAR VALIPURA GUEST HOUSE, BULANDSHAHAR-203001



EC No. / Item No./ Institution Name- ED Course	Examining Authority / Hospital	Decisions of 371 EC (R.2022)
<p>371 EC:13 CP-486-2022-2023</p> <p>Vive Pharmacy College 88, Kharja Road, Near Vajpura Gand Bazar, BULANDSHAHAR, 201001</p> <p>PCI - 3292</p> <p>D.Pharm B.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gurga Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p> <p>B.Pharm The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus, Sagar Road Lucknow</p>	<p>grant issue as intake</p> <p>D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 academic for 60 admissions for D.Pharm course</p> <p>B.Pharm Grant approval for 2022-2023 academic session for conduct of 1st year.</p> <p>Allowed 60 admissions in 2022-2023 in 1st year (B.Pharm).</p> <p>(Already approved for 100 admission in 1st year)</p> <p>Reduce intake from 100 to 60 from 2022-2023 academic session for B.Pharm course, as the institution has failed to appoint faculty, failed to maintain faculty cadre ratio and disburse salary as per statutory provisions of - •Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014 •The Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) Course Regulations, 2014</p>
<p>371 EC:14 CP-486-2022-2023</p> <p>Vaidya Gurukul College Of Pharmacy 6, CHUNAR ROAD, CHUNAR, MIZAPUR, 231364</p> <p>PCI - 3234</p> <p>D.Pharm B.Pharm</p>	<p>D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Gurga Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh</p> <p>B.Pharm The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus, Sagar Road Lucknow</p>	<p>D.Pharm Extend approval up to 2022-2023 academic session for 60 admissions for D.Pharm course</p> <p>It was noted that salary is not paid to faculty as per norms. It was decided to instruct the institution to submit compliance with documentary evidence (form 16 of each faculty)</p> <p>B.Pharm Grant approval for 2022-2023 academic session for the conduct of 1st year for B.Pharm course for 60 admissions</p> <p>Allow 60 admissions in 2022-2023 academic session in 1st year</p> <p>Regarding institution's request for more</p>